राजस्थान कृषि उपज मण्डी समिति सेवा

(सामान्य भविष्य निधि) नियम, 1996

कृषि (ग्रुप-2) विभाग

अधिसूचना

संख्या प.8 (8) कृषि -2/92 पार्ट ।। **जयपुर, अगस्त 22, 1996**

जी.एस.आर.51- राजस्थान कृषि मण्डी अधिनियम, 1961 (1961 का राजस्थान अधिनियम सं. 38) की धारा 36 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार एतद्द्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है और उक्त धारा की उप-धारा (4) के परन्तुक के प्रति निर्देश से आदेश देती है कि इन नियमों को पूर्व प्रकाशन से अभिमुक्त किया जावे, क्योंकि राज्य सरकार का विचार है कि इन्हें तुरन्त प्रवृत्त किया जाना चाहिये, अर्थातः-

राजस्थान कृषि उपज मण्डी समिति सेवा (सामान्य भविष्य निधि) नियम, 1996

1. संक्षिप्त नाम तथा प्रारम्भ

(1) से नियम राजस्थान कृषि मण्डी समिति सेवा (सामान्य भविष्य निधि) नियम, 1996 कहलायेंगे।

(2) ये नियम 21 मार्च, 1995 से प्रभावशाली होंगे।

2. परिभाषाएं

जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, इन नियमों में:

(क) 'मण्डी समिति' से अभिप्राय राजस्थान कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1961 की धारा 6 के अधीन स्थापित और धारा 8 के अधीन नामित कृषि उपज मण्डी समिति से है।

(ख) प्रशासक/अध्यक्ष का अभिप्राय यथास्थिति कृषि उपज मण्डी समिति के प्रशासक/अध्यक्ष से है।

(ग) 'सचिव' से तात्पर्य मण्डी समिति के सचिव से हैं।

(घ) 'निधि' का अभिप्राय कृषि उपज मण्डी समिति सामान्य प्रावधायी निधि से है। इस निधि में मासिक योगदान की राशि जमा कराई जाती रहेगी एवं विधमान कर्मचारियों के द्वारा अंशदायी प्रावधायी निधि में जमा कराई गई राशि व ब्याज की राशि की स्थानान्तरण किया जावेगा।

(ङ.) 'विधमान कर्मचारी' से अभिप्राय दिनांक 21.3.1995 से पहले मण्डी समिति सेवा में नियमित रूप से नियमित वेतन श्रृंखला में नियुक्त किये गये उन कर्मचारी से है, जिन्होंने पेंशन योजना अपनाने का विकल्प निर्धारित प्रपत्र में दे दिया है या उन्हें पेंशन योजना अपनाया हुआ माना गया है।

(च) 'अभिदाता' से अभिप्राय उन कर्मचारियों से है, जो राजस्थान कृषि उपज मण्डी सेवा (पेंशन) नियम, 1995 के द्वारा शासित होंगे अथवा जिनको मासिक अभिदाय की राशि निर्धारित दर पर इन नियमों के अन्तर्गत सामान्य प्रावधायी निधि में जमा करानी होगी।

(छ) 'अभिदाय' सेअभिप्राय निर्धारित दर पर कर्मचारी द्वारा सामान्य प्रावधायी निधि में किये गये योगदान की राशि से है, जिनमें वेतन बिल द्वारा की गई कटौती की राशि व नकद के रूप में जमा कराई गई राशि शामिल होगी।

(ज) 'वर्ष' से वित्तीय वर्ष अभिप्रेत है।

(झ) अवकाश से अभिप्राय राजस्थान सेवा नियमों में परिभाषित अवकाश से है।

(त) परिवार इन नियमों के प्रयोजनार्थ परिवार में अभिदाता के निम्न सम्बंधी शामिल होंगे

1. पति/पत्नि

2. अवयस्क पुत्र व अविवाहित पुत्रियां (इसमें वैध रूप से गोद ली हुई संतान भी शामिल होगी।

(थ) वेतन से तात्पर्य राजस्थान सेवा नियमों के नियम 7(24) में परिभाषित वेतन से है।

3. लागू होनें का क्षेत्र:-

1. मण्डी समिति के उन सभी विधमान कर्मचारियों पर, जिन्होने राजस्थान कृषि उपज मण्डी सेवा (पेंशन) नियम - 1995 के अन्तर्गत पेन्शन योजना अपनानें का विकल्प दे दिया है। लागू होंगे।

2. उन सभी कर्मचारियों पर लागू होंगे जिनकी नियुक्ति मण्डी समिति सेवा के नियमित पद पर नियमित वेतन श्रृखंला में दिनांक 21 मार्च 1995 को अथवा इसके पश्चात की गई है।

4. नाम निर्देशन - (नोमीनेशन) -

1. सचिव निधि में सम्मिलित होते के समय प्रत्येक अभिदाता से ऐसा नाम निर्देशन करायेगा जिसे निधि में उसके खाते में जमा राशि को उस दशा में प्राप्त करनें का अधिकार दिया गया हो जबकि उसके खाते में जमा राशि के संदेह होनें से पूर्व या जहां राशि संदेय हो गई हो तो उक्त राशि का भुगतान होने से पूर्व अभिदात की मृत्यु हो जाये।

2.यदि निधि में सम्मिलित होनें के समय अभिदाता का परिवार हो तो वह प्रथम अनुसूची में दिये गये प्रारूप में अपनें परिवार के एक या अधिक सदस्यों के पक्ष में नाम निर्देशन सचिव को भेजेगा।

3.यदि किसी अभिदाता का परिवार नहीं है तो वह दूसरी अनुसूची में दिये गए प्रारूप में से किसी एक व्यक्ति या व्यक्तियों का उसी भांति नाम निर्देशन करेगा।

परन्तु इस उपनियम के अधीन किय गया नाम निर्देशन अभिदाता कुटुम्ब न होनें तक हो इन नियमों के अनुसरण में सम्यक रूप से किया गया नाम निर्देशन समझा जावेगा।

4. यदि कोई अभिदाता किसी भी समय परिवार वाला हो जाता है तो वह उपनियम (2) मे उपबन्धित के अनुसार सचिव को एक नाम निर्देशन भेजेगा और यदि उसने उपनियम (3) कि अधीन अपनें परिवार के सदस्यों को छोड़कर किसी अन्य व्यक्ति को नाम निर्देशित किया गया है तो वह पूर्व नाम निर्देशन को औपचारिक रूप से रदद कर देगा।

5. कोई भी अभिदाता अपनें नाम निर्देशन में निधि में अपनें खाते में जमा राशि का बंटवारा स्वविवेकानुसार अपनें नाम निर्देशितो में कर सकेगा।

6. कोई भी अभिदाता नाम निर्देशन रदद कर सकेगा परन्तु यह तब तक जबकि उक्त नाम निर्देशित के स्थान पर इस नियम के अधीन अनुज्ञेय कोई अन्य नाम निर्देशन कर दिया जाये।

7. कोई भी नाम निर्देशन उस सीमा तक प्रभावी होगा, जिस सीमा तक वह सचिव द्वारा उसे प्राप्त किये जानें की तारीख को विधिमान्य है।

8. नाम निर्देशित व्यक्ति की मृत्यु हो जानें पर अभिदाता नवीन नाम निर्देशन प्रस्तुत करेगा।

9. नाम निर्देशन या रददीकरण उस तिथि से प्रभावी होगा जिस तिथि को सचिव द्वारा प्राप्त किया जावेगा।

5. अभिदाता का खाता -

1. प्रत्येक अभिदाता के नाम से एक खाता खोला जायेगा जिसमें उसके अभिदयों एवं उन पर इन नियमों के अन्तर्गत दी जानें वाली संगणित ब्याज की राशि को एवं अभिदाता द्वारा समय समय पर आहरण की गई एवं ऋण ली गई राशि को दिखलाया जावेगा।

2. इस खाते में जमा कराई गई राशि व निकाली गई राशि को इन्द्राज एक पास बुक में जो आहरण व वितरण अधिकारी द्वारा सम्पादित की जावेगी में संधारित किया जावेगा।

3.इन नियमों की प्रभावी तिथि की कर्मचारी के अंशदायी प्रावधायी निधि के खाते में उपलब्ध कुल धन राशि (जिसमें ब्याज की राशि शामिल रहेगी) अभिदाता के खाते में इस निधि में स्थानान्तरित समझी जावेगी।

6 अभिदाय की शर्तें -

1. अभिदाता निर्धारित दर निधि में मासिक अभिदाय करेगा। निलम्बन एवं असाधारण अवकाश (लीव विदाउट पे) अवधि में अभिदाय नहीं करेगा।

2. निलम्बन की कालावधि व्यतीत हो जानें के पश्चात् बहाल हो जानें पर अभिदाता को उक्त कालावधि के लिए देय अभिदायों की बकाया राशि एक मुष्त या किस्तों में संदाय करनें हेतु विकल्प देनें की अनूज्ञा दी जा सकेगी परन्तु किस्त की राशि मासिक संदाय की राशि से कम नहीं होगी।

7 अभिदाय की दर -

1. प्रत्येक अभिदाता को कम से कम उसके वेतन पर राज्य सरकार के नियमानुसार अभिदाय करना होगा जो कि निकटतम पूरे रूपये में गणनीय होगा

किन्तु अभिदाता अधिक राशि का अभिदय करनें का विकल्प दे सकेगा जो कि माह मार्च में दिया जावेगा व कम से कम 12 माह की अवधि तक वैध रहेगा।

2. उपनियम (1) के प्रयोजनार्थ किसी अभिदाता का वेतन वह होगा जिसे वह उसके तारीख को पाने का हकदार था परन्तु

(I) यदि अभिदाता उक्त तिथि का असाधारण अवकाश पर था और वह उक्त अवकाश काल में अभिदाय न करने का विकल्प देता है या उक्त तिथि को निलम्बित था तो उसका वेतन वह होगा जिसे वह ड्यूटी पर आने के पश्चात् प्रथम दिन आनें के पश्चात् प्रथम दिन पाने का हकदार था।

(II) यदि अभिदाता उक्त तिथि को भारत से बाहर प्रतिनियुक्ति पर था या उक्त तिथि का अवैतनिक अवकाश पर था या लगातार अवकाश पर बना रहता है तथा उक्त अवकाश के दौरान अभिदया करने का विकल्प देता है तो उसका वेतन वह होगा जिसे वह भारत में ड्यूटी पर होनें की दशा में प्राप्त करनें का हकदार होता।

(III) यदि कोई अभिदाता उक्त तिथि के पष्चात् प्रथम बार निधि में सम्मिलित होता है तो उसका वेतन वह होगा जो वह ऐसी पष्चात्वर्ती तारीख पाने का हकदार था।

3. अभिदाता एक मुश्त राशि भी सचिव की अनुमति से निधि में जमा कर सकेगा।

8. ब्याज -

1. मण्डी समिति अभिदाता के खाते में प्रत्येक वर्ष ब्याज की राशि जो कि राज्य सरकार द्वारा समय समय पर संगणना के विहित तरीके व निर्धारित दर पर प्रत्येक अवधारित की जाये जमा करावेगी, जो कि निकटतम पूर्ण रूपयों में होगी।

2. ब्याज पूर्ववर्ती वर्ष के अन्तिम दिन अभिदाता के खाते में कुल जमा की गई राशि जो कि निम्न शर्तों के अधीन रहेगा

(I) चालू वर्ष के दौरान निकाली गई वर्ष आरम्भ से सि माह में राशि निकली गई है, उससे पूर्ववर्ती माह के अन्तिम दिन तक का ब्याज।

(II) पूर्ववर्ती ब्याज के अन्तिम दिन के पश्चात अभिदाता के खाते में जो समस्त राशियों पर जमा करानें की तारीख से चालू वर्ष के अन्त तक का ब्याज ।

(III) इस नियम के अनुसार परिलब्धियों से वसूली के मामलें में राशि जमा कराये गये की तारीख उस माह की पहली तारीख समझी जावेगी जिस माह में उसकी वसूली की गई हो उसको अभिदाता द्वारा प्रेषित राशि के मामले में यदि सचिव को उस माह की 10 तारीख से पूर्व राशि प्राप्त हो जाये तो उस माह की पहली तारीख समझी जायेगी किन्तु यदि राशि 10 तारीख को या उसके पश्चात प्राप्त हुई हो तो वह तारीख अगले माह की पहली तारीख होगी।

9. निधि में से अग्रिम

1 निम्नलिखित प्रयोजनों में से किसी एक या अधिक के लिए, सचिव किसी अभिदाता को तीन मास के वेतन की रकम या निधि में उसके खाते में जमा रकम के आधे से अनाधिक रकम उसमें से जो भी कम हो पूरे रूपयों में अग्रिम के रूप में स्वीकृत कर सकेगा-

(क) अभिदाता या उस पर वास्तव में आश्रित किसी व्यक्ति की रूग्णता या निःशक्तता सम्बंधी व्ययों का जहां आवश्यक हो यात्रा व्यय सहित भुगतान।

(ख) निम्नलिखित मामलों में अभिदाता या उस पर वास्तव में आश्रित किसी व्यक्ति की उच्च शिक्षा के व्ययों और जहां आवश्यक हो यात्रा व्यय की पूर्ति अर्थात्

1. भारत के बाहर उच्च माध्यमिक स्कूल स्तर के ऊपर के शैक्षिक, तकनीकी, वृतिक या व्यावसायिक पाठ्यक्रम की शिक्षा के लिए।

2. भारत में उच्च माध्यमिक स्कूल स्तर से ऊपर के किसी अयुर्विज्ञान, अभियान्त्रिकी या अन्य तकनीकी या विशिष्टकृत पाठ्यक्रम के लिए परन्तु वह तब जबकि अध्ययन पाठ्यक्रम तीन वर्ष से कम का न हो।

(ग) अभिदाता की हैसियत के अनुरूप अभिदाता द्वारा विवाह या अन्य संस्कारों पर किये जानें वाले व्यय का संदाय जो रूढिगत प्रथा के अनुसार आवश्यक है।

(घ) मण्डी समिति ड्यूटी पालन में किसी अभिदाता द्वारा की गई या तात्पर्यित किसी कार्यवाही के लिए उसके विरूद्ध लगाये गये किन्ही अभिकथनों के सम्बंध में स्वयं को निर्दोश सिद्ध करने हेतु उसके द्वरा संस्थित किसी विधिक कार्यवाही के खर्चे की पूर्ति। यह अग्रिम इसी प्रयोजन के लिए किसी अन्य स्त्रोत से मिलनें वाले किसी अग्रिम के अतिरिक्त होगा।

टिप्पणी - उपरोक्त खण्ड के अधीन ऐसे अभिदाता के लिए अग्रिम अनुज्ञय नहीं होगा जो किसी न्यायालय में या अपनी मण्डी समिति डयूटी से अन्तर्बद्ध किसी मामलें के संबंध में या सेवा की किसी शर्त या उस पर अधिरोपित सासती के संबंध में मण्डी समिति के विरूद्ध कार्यवाही संस्थित करता हैं।

(ङ) अभिदाता द्वारा स्वयं के मकान की मरम्मत परिवर्तन या परिवर्धन पर किये जानें वाले आवश्यक व्यय की पूर्ति हेतु।

(2) (∗∗∗∗)

10. अग्रिम राशि की वसूली -

1. अग्रिम राशि की वसूली 12 मासिक किश्तों से कम में नहीं की जावेगी, जब तक कि अभिदाता ऐसा करनें के लिए विकल्प ना देवें या किसी भी दशा में 24 मासिक किश्तो से अधिक नहीं होगी । किश्त पूरे निकटतम रूपयों में होगी।

2. अग्रिम राशि की वसूली अभिदाता के अग्रिम लेने के बाद मिलनें वाले वेतन से प्रारम्भ की जावेगी।

टिप्पणी - इस उपनियम में परिभाषित वेतन शब्द से तात्पर्य निलम्बन काल में मिलनें वाले गुजारा भत्ता से नहीं है।

3. अग्रिम पूर्णतः वसूल हो जानें पर तुरन्त पश्चात ब्याज की राशि राज्य सरकार के नियमानुसार निम्न सूत्र के बनुसार काटी जावेगी

सूत्र: मूलधन∗समय∗प्रचलित दर

11. निधि से अन्तिम प्रत्याहरण

(**उपनियम 1** - खाते से स्थायी प्रत्याहरण केवल निम्नलिखित मामलों में स्वीकृत किया जावेगाः-)

(अ) 15 वर्ष की सेवा अवधि(भंग सेवा अवधि, यदि कोई हो,को सम्मिलित करते हुए) के बाद या सेवनिवृति की तिथि से दस वर्ष पूर्व, जो भी पहले हो उप नियम 2 में वर्णित निर्दिष्ट उद्देश्यों एव सीमा तक के लिए।

(ब) उप नियम 3 में वर्णित सीमा तक भवन निर्माण हेतु अभिदाता के सेवा काल में किसी भी समय।

(स) अभिदाता की अधिवार्षिकी सेवानिवृत्ति से पूर्व 12 माह में बिना किसी कारण के निधि से उसके खाते में जमा के 90 प्रतिशत तक राशि।

(द) अधिकारियों के मामले में बोर्ड प्रशासक व कर्मचारियों में मामले में सचिव प्रत्याहण स्वीकृत कर सकेगा।

परन्तु यदि किसी समय उसी प्रयोजन के लिये नियम 9 के अन्तर्गत अग्रिम स्वीकृत किया जा रहा है। तो इस नियम के अंतर्गत आहरण स्वीकृत नहीं किया जावेगा।

(य) जब अभिदाता सेवा छोड़ देता है जो निधि में उसके खाते में जमा रकम उसे संदेय हो जायेगी परन्तु ऐसा अभिदाता जिसे सेवा से पदच्युत कर दिया गया है और तत्पश्चात सेवा में बहाल कर दिया जाता है, इस नियम के अनुसरण में उसकी संदत की गई रकम नियम 10, (3) में सम्बन्धित मद पर ब्याज सहित वापिस करेगा जिसे निधि में उसके खाते में जमा कर दिया जायेगा।

उपनियम 2 भवन निर्माण के अतिरिक्त स्थायी उद्देश्यों के लिए प्रत्याहरण - (1) निधि में अभिदाता के खाते में जमा राशि का 50 प्रतिशत स्थायी आहरण निम्नलिखित उद्देश्यों के लिए -

(अ) अभिदाता या उसकी किसी संतान की उच्च शिक्षा के व्यय एवं जहां आवश्यक हो उक्त उद्देश्यो के यात्रा व्यय को सम्मिलित करते हुए व्ययों की पूर्ति के लिए निम्न मामलों में -

1 भारत या बाहर सैकेण्डरी स्कूल स्तर के ऊपर शैक्षणिक प्रावेधिक व्यावसायिक या वृतिक पाठ्यक्रम के लिए।

2 भारत में सेकेण्डरी स्कूल स्तर से ऊपर आयुर्विज्ञान अभियान्त्रिकी या अन्य प्रवेधिक या विषिष्टिकृत पाठ्यक्रम के लिए परन्तु अध्ययन का यह पाठ्यक्रम तीन वर्ष से कम अवधि का न हो।

(ब) अभिदाता उसके परिवार के सदस्यो या उस पर आश्रित माता पिता की रूगणता के व्यय जहां आवश्यक हो उसके यात्रा व्यय सहित व्यय की पूर्ति हेतु।

(स) जीप/मोटरकार/स्कूटर आदि खरीदनें हेतु परन्तु शर्त यह होगी कि इन उद्देष्यों के लिए प्रत्याहरण खरीद गये वाहन की कीमत के 75 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा।

(द) स्थायी उपभोग की वस्तुए जैसे रेफ्रीजरेटर, टेलीविजन, एयर कण्डीश्नर वाशिंग मशीन आदि के मूल्य पूर्ति के लिए परन्तु शर्त यह होगी कि ऐसे उद्देश्यों के लिए आहरण की राशि खरीद गये उपकरण के मुल्य 75 प्रतिषत से अधिक नहीं हो।

(2) अभिदाता की स्वयं या उसके पुत्र पुत्रियों की सगाई, विवाह के व्ययों की पूर्ति के लिए निधि में अभिदाता के खाते में जमा का 75 प्रतिशत स्थायी आहरण स्वीकृत किया जा सकेगा।

उपनियम 3 - भवन हेतु स्थायी आहरण - अभिदाता के खाते में जमा राशि का 75 प्रतिशत स्थायी आहरण उसे निम्नलिखित प्रयोजन हेतु स्वीकृत किया जा सकता है-

(अ) अपनें स्वय के निवास के लिए भवन निर्माण करने या भुमि के मूल्य सहित निर्मित आवास/फ्लैट अधिग्रहित करन या जयपुर विकास प्राधिकरण, नगर सुधार न्यास राजस्थान आवासन मण्डल या नगर निगम/नगरपालिका द्वारा आवंटित भूखण्ड या फ्लैट का मूल्य भुगतान करने हेतु।

(ब) अपने निवास के लिए भवन निर्माण या निर्मित आवास या फ्लैट क्रय करने के उददेष्य से लिये गये ऋण की बकाया राशि भुगतान हेतु।

(स) अपनें निवास के लिए भवन निर्माण करने के लिए भूखण्ड क्रय करने एवं इस हेतु लिये गये ऋण की बकाया राशि भुगतान हेतु।

(द) अभिदाता द्वारा पूर्व में ही निर्मित अथवा अधिग्रहीत भवन या आवास के पुननिर्माण विस्तार अथवा परिवर्धन हेतु।

(य) पूर्वजो के मकान या सरकार की सहायता अथवा ऋण से निर्मित मकान के नवीनीकरण विस्तार या परिवर्धन या मरम्मत हेतु।

(र) उपधारा (स) के अन्तर्गत क्रय किये गए भूखण्ड पर भवन निर्माण हेतु।

टिप्पणी - (1) यदि अभिदाता के पास पूर्वजों का मकान या सरकार के लिये गये ऋण की सहायता से उसके पदस्थापन स्थान के अतिरिक्त के अतिरिक्त अन्य स्थान पर भवन निर्माण किया गया है, तो नियम 11 (3) के खण्ड (अ) (स) और (र) के अन्तर्गत अपनें पदस्थापन स्थान पर भूखण्ड खरीदने या दूसरा भवन निर्माण करने या निर्मित आवास अधिग्रहित करने हेतु स्थायी आहरण स्वीकृत कराने का पात्र होगा।

(2) नियम 11 (3) (अ), (द) (य) या (र) में अभिदाता द्वारा निर्माण विस्तार परिवर्धित किये जाने वाले मकान की अनुमानित लागत एवं योजना का नक्शा जिस क्षेत्र में भूखण्ड मकान आंवटित है के स्थानीय निकाय द्वारा अनुमोदित जहां ऐसा वास्तव में कराना आवश्यक है प्रस्तुत करने पर ही स्थायी आहरण स्वीकृत किया जावेगा।

(3) नियम 11 (3) के खण्ड (ब) के अन्तर्गत स्वीकृत आहरण की राशि पूर्व में खण्ड (अ) के अन्तर्गत जमा राशि को शामिल करते हुए आवेदन करने की दिनांक को अभिदाता के खाते में जमा राशि के 3/4 से अधिक नहीं होगी। इससे पूर्व में लिया गया आहरण कम किया जायेगा इस सम्बंध में अपनाया जानें वाला सूत्र इस प्रकार है:-

3/4 (अवशेष व पूर्व प्रत्याहरण) - पूर्व प्रत्याहरण

(4) यदि मकान का भूखण्ड अथवा मकान अभिदाता के पति/पत्नि के नाम है अभिदाता द्वारा मनोनयन में उसे प्रावधायी निधि राशि प्राप्त करनें के लिए प्रथम मनोनित नियुक्त किया गया है। तो नियम 11 (3) के खण्ड (अ) या (ब) के अन्तर्गत आहरण स्वीकृति योग्य होगा।

(5) इस नियम के अन्तर्गत एक प्रयोजन के लिए केवल एक ही आहरण देय होगा परन्तु मकान अथवा फ्लैट विस्तार और परिर्वधन की नई योजना स्थानीय निकाय द्वारा अनुमोदित हो तो समान प्रयोजन नही माना जावेगा। नियम 11 (3) के खण्ड (अ) या (र) के

अन्तर्गत उसी मकान को पूर्ण कराने हेतु टिप्पणी (3) में दी गई सीमा के अन्तर्गत द्वितीय एवं आगामी आहरण देय होगी।

12. राज्य सरकार द्वारा अपने सामान्य भविष्यनिधि नियम (जी.पी.एफ 16,17 एवं 18 में समय समय पर किये गये संशोधन विपणन बोर्ड के सामान्य भविष्य निधि नियम, 1996 के नियम 11 के उपनियम 1,2 एवं 3 पर भी प्रभावी होंगे।

13. अभिदाता की सेवानिवृत्ति -

जब अभिदाता स्वेच्छा से सेवानिवृति ले लेता है या अवकाश रहते हुए सेवानिवृत्त होने हेतु अनुज्ञेय कर दिया गया है या सक्षम चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा सेवा हेतु अनुपयुक्त घोषित कर दिया गया है। अथवा अधिवार्षिकी पर सेवानिवृत्त हो जाता है तो निधि में उसके खते में जमा रकम इस सम्बंध में उसके द्वारा सचिव को आवेदन पर अभिदाता को संदेय की जावेगी।

परन्तु यदि अभिदाता डयूटी पर वापिस आ जाता है तो वह निधि में से ली गई पूर्व राशि मय 12 प्रतिशत ब्याज दर के एक मुश्त अथवा किस्तों में निधि में प्रति संदाय करेगा। किस्त की राशि उसके आधे वेतन से अधिक नही होगी।

14. अभिदाता की मृत्यु - अभिदाता के खाते में जमा रकम के संदेय होनें से पूर्व या जहां रकम संदेय हो गई है तो संदाय होने से पूर्व यदि अभिदाता की मृत्यु पर -

(क) अभिदाता द्वारा अपने पीछे कुटुम्ब छोड़नें की दशा में

(I) यदि अभिदाता द्वारा नियम 4 (1) के अनुसार अपने कुटुम्ब के सदस्य या सदस्यों के पक्ष में किया गया नाम निर्देशन अस्तित्व मे है तो निधि में अभिदाता के खाते में जमा रकम या उसका कोई अंश जो नाम निर्देशन से सम्बन्धित है नाम निर्देशन में विनिर्दिष्ट अनुपात में उके नाम निर्देशितो या नाम निर्देशितियों को संदाय हो जायेगा।

(II) यदि अभिदाता के कुटुम्ब के सदस्य या सदस्यों के पक्ष में कोई नाम निर्देशन अस्तित्व में नहीं है या यदि ऐसा नाम निर्देशन निधि में उसके खाते में जमा रकम एक अंश से ही सम्बन्धित है तो सम्पूर्ण रकम या उसका अंश जो नाम निर्देशन से सम्बन्धित नहीं है। जैसी भी स्थिती हो उसके कुटुम्ब के सदस्य या सदस्यों से भिन्न किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के पक्ष में किये जानें हेतु तात्पर्य किसी नाम निर्देशन के होते हुए भी उसके

कुटुम्ब के सदस्यों को समान अंशो मे से संदेश हो जायेगा परन्तु निम्नलिखित को कोई अंश संदेय नही होगा।

1 पुत्र जिन्होनें विधिक वयव्यस्कता प्राप्त कर ली है।

2 मृत पुत्र के पुत्र जिन्होनें विधिक वयस्कता प्राप्त कर ली है।

3 विवाहित पुत्रियां जिनके पति जिवित हैं।

4 मृत पुत्र की विवाहित पुत्रियां जिनके पति जीवित हैं। परन्तु यह और कि मृत पुत्र विधवा या की विधवाओं उसके बच्चे या बच्चों को दसी दषा में अंश के समान हिस्से मिलेंगे जो अंश पुत्र अभिदाता से उतरजीवी होने पर और प्रथम परन्तुक के खण्ड (1) के उपबंधों से मुक्त कर दिये जाने पर प्राप्त करता।

(ख) अभिदाता द्वारा अपने समय पीछे कुटुम्ब न छोड़नें की दशा में यदि नियम 4 (1) के उपबंधों के अनुसरण में किसी व्यक्ति या किन्ही व्यक्तियों के पक्ष में अभिदाता द्वारा किया गया नाम निर्देशन अस्तित्व में हो तो निधि में अभिदाता के खाते में जमा रकम या उसका कोई अंश जो नाम निर्देशन से सम्बन्धित है नाम निर्देषित या नाम निर्देशितियों को नाम निर्देशन में विनिर्दिष्ट अनुपात में संदेय हो जायेगा।

(ग) यदि अभिदाता द्वारा कोई नाम निर्देशन नही किया गया हो, तो निधि में अभिदाता के खाते में जमा रकम उसके विधिक उतराधिकारियों को संदेय होगी।

15. संदाय राशि का लेखा -

(1) सचिव वर्ष की समाप्ति पर प्रत्येक अभिदाता को निधि में उसके खाते मे जमा राशि का ब्यौरा भिजवाऐगा, जिसमें वर्ष का प्रारम्भिक शेष, वर्ष में जमा करायी गई राशि व इस पर दिये ब्याज की राशि एवं वर्ष का अन्तिम शेष दर्शाया जायेगा।

16 निधि का संचालन -

(1) इन नियमों के अन्तर्गत सर्जित सामान्य प्रावधायी निधि का संचालन एंव नियत्रंण प्रशासक/अध्यक्ष द्वारा जारी किये गये निर्देषों के अनुसार ही किया जावेगा।

(2) इन नियमों के अन्तर्गत निधि में जमाओं का लेखा जमाओं को लेखा की पुस्तकों मण्डी समिति सामान्य भविष्य निधि लेखा के अन्तर्गत दर्शाया जावेगा।

(3) इस निधि की राशि को निजि क्षेप खाता (ब्याज वाला) खुलवा कर उसमें रख जावेगा।

17 विविध

इन नियमों से जो बिन्दू शासित नहीं होते उनके लिए राजस्थान राज्य कर्मचारी, सामान्य प्रावधायी निधि नियम, 1997 लागू समझें जावेंगे।

प्रथम अनुसूची (नियम 4 (2))

अभिदाता के कुटुम्ब होने की दशा में नाम निर्देशन

मैं इसके द्वारा निर्देष देता हॅू कि मेरी मृत्यु होनें पर भविष्य निधि खाते में मेरी जमा रकम निम्न लिखित व्यक्तियों में उनके नाम के आगे वर्णित रीति से बांट दिये जायेः

नाम निर्देशित का नाम या निर्देशितियों के नाम व पते	अभिदाता से सम्बंध	नाम निर्देशन की आयु	संचित राशि में से हिस्से की रकम

दिनांकः अभिदाता के हस्ताक्षर

स्थानः (नाम मय पदनाम)

साक्षियों के हस्ताक्षर

(1) हस्ताक्षर

नाम

पद

पदस्थापन्न कार्यालय

(2) हस्ताक्षर

नाम

पद

पदस्थापन्न कार्यालय

द्वित्तीय अनुसूची (नियम 4 (3)

अभिदाता का परिवार ना होनें की दशा में नाम निर्देशन का प्रारूप

मैं एतद् द्वारा घोषणा करता हॅू कि मेरा परिवार नहीं है और मैं निर्देश देता हॅू कि मेरा परिवार ना होनें की दशा में मेरी मृत्यु होनें पर सामान्य भविष्य में मेरे खाते में जमा रकम निम्नलिखित व्यक्तियों में उनके नाम के आगे वर्णित रीति से बांट दिये जायेः

नाम निर्देशित का नाम या निर्देशितियों के नाम व पते	अभिदाता से सम्बंध यदि कोई हो	नाम निर्देशन की आयु	संचित राशि में से हिस्से की रकम

दिनांकः अभिदाता के हस्ताक्षर

स्थानः (नाम मय पदनाम)

साक्षियों के हस्ताक्षर

(1) हस्ताक्षर

नाम

पद

पदस्थापन्न कार्यालय

(2) हस्ताक्षर

नाम

पद

पदस्थापन्न कार्यालय

उपाबंध "क"

सेवा में

प्रशासक /अध्यक्ष महोदय,

कृषि उपज मण्डी समिति,

....

मेरी ....निधि में जमा रकम में से स्थल की लागत को सम्मिलित करते हुए उपयुक्त गृह निर्माण या अर्जन के प्रयोजनार्थ मेरे आवेदन पर रूपये ....मात्र का प्रत्याहरण राजस्थान कृषि उपज मण्डी समिति सेवा(सामान्य भविष्य निधि) नियम, 1996 तथा वित्त विभाग के आदेष संख्या पी.यू.सी 5818/57/एफ (16, दिनांक 24/2/58 के उपबंधों के अधीन प्रत्याहरण अनुज्ञेय करने के लिए प्रषासक /अध्यक्ष के सहमत होनें के प्रतिफल स्वरूप मैं इसके शर्तों, इसमें अन्तर्विष्ट निबंधों एवं शर्तों जहां तक वे मेरे ऊपर लागू होती है का पालन करने का और विषेष रूप से निम्नलिखित निबंधों एवं शर्तो का अनुपालन करने का वचन देता हॅू कि

(1) प्रत्याहरण के लिए आवेदित रकम का प्रस्ताव में उपयोग उपयुक्त गृह के निर्माण या अर्जन के लिए जिसमें उसके स्थल की लागत सम्मिलित है, किया जायेगा।

(2) यदि इस प्रकार प्रत्याहरण हेतु अनुज्ञेय की गई रकम उपयुक्त गृह निर्माण या अर्जन के लिए जिसमें उसके स्थल की लागत सम्मिलित है मेरे द्वारा वास्तव में व्यय की गई रकम से अधिक हो तो उक्त अधिक रकम वित विभग राजस्थान सरकार के उपर्युक्त आदेष के पैरा छः में उपबन्धित दर से उस पर ब्याज सहित बिना आपत्ति के एक मुष्त मण्डी समिति को प्रतिदाय कर दूंगा चाहे उसे मांगा गया हो या नहीं।

(3) प्रत्याहरित रकम से निर्माण या अर्जित किया जानें वाला प्रस्तावित गृह मेरे ड्यूटी स्थान पर या ....पर स्थित होगा जहां मेरा सेवानिवृत्त के पश्चात् निवास करनें का विचार है।

(4) मेरे द्वारा गृह निर्माण कराये जानें की दशा में उपर्युक्त रकम के प्रत्याहरण के छः महीनें के भरीतर गृह निर्माण कार्य प्रारम्भ कर दिया जायेगा तथा निर्माण कार्य प्रारम्भ होनें की तारीख से एक वर्ष की कालावधि में जो मण्डी समिति द्वारा पूर्ण स्वविवेकानुसार अनुज्ञात की जाये निर्माण कार्य पूरा कर लिया जायेगा। बने बनाये

गृह के क्रय किये जानें की दशा में मेरे द्वारा इस पर प्रयोजनार्थ प्राईवेट पक्षकारोस से लिया गया उधार उक्त आहरण के तीन मास के भीतर या मण्डी समिति द्वारा यथा अनुज्ञेय वर्जित कालावधि के भीतर प्रतिसंदत्त कर दिया जयेगा।

(5) मेरे द्वारा ग्रह निर्माण कराये जानें की दशा में जिस स्थल पर गृह निर्माण कराया जान प्रस्तावित है, उस स्थान पर निर्माता कार्य का अधिकार मेरे द्वारा तुरन्त कर लिया जावेगा।

(6) अनुमोदित नक्शा तथा अपेक्षित सीमा तक भवन निर्माण सामग्री क्रय हेतु स्थानीय प्राधिकारियों के अनुज्ञापत्र जहां आवश्यक हो मेरे द्वारा प्रस्तुत किये जायेगें।

(7) बने बनाये गृह के प्रयोजनार्थ आहरण के मामले में क्रय मूल्य संदत्त किये जाने के पूर्व गृह का तथा उस भूमि का जिस पर गृह निर्मित किया गया है। निर्विवाद हक प्राप्त कर लूंगा।

(8) जब तक मैं सेवा मे हॅू मैं मण्डी समिति द्वारा विहित प्रारूप में 31 दिसम्बर को या उससे पूर्व प्रतिवर्ष इस आशय की घोषणा प्रस्तुत करता रहुंगा कि इस प्रकार निर्मित या अर्जित गृह मेरे एक मात्र स्वामित्व और कब्जे में है।

(9) सेवा मे रहते हुए सक्षम अधिकारी की लिखित अनुज्ञा के बिना इस प्रकार निर्मित या अर्जित गृह को दान, विक्रय, बन्धक विनियम द्वारा 3 वर्ष से अधिक के पट्टे पर देकर या अन्यथा अन्तरित करूंगा।

(10) मैं इसके द्वारा घोषणा करता हॅू कि प्रत्याहरण हेतु अनुज्ञेय रकम और मेरी निजि बचत की राशि दोनों मिलाकर प्रस्तावित गृह निर्माण या अर्जन के लिए पर्याप्त होगी और मेरी ड्यूटी के स्थान पर या ....पर जहां सेवानिवृत्ति के पष्चात् मेरा निवास करनें का विचार है। निर्माण या अर्जन आंशित गृह को छोड़कर मैं किसी गृह का स्वामी नहीं हॅू। मैं यदि भी घोषणा करता हॅू कि यदि गृह का उक्त आदेश के उपबन्धों के अनुसार क्रय या निर्माण नहीं किया जाता है या उपयुक्त शर्तों में से मै किसी शर्त को भंग करता हॅू, तो मैं ....निधि में उक्त आदेश के अनुसरण मै निधि से प्रत्याहरण हेतु अनुज्ञात सम्पूर्ण रकम वित विभाग, राजस्थान सरकार के उपर्युक्त आदेश के पैरा छः में उपबन्धित दर से उस ब्याज सहित मेरे खाते में जमा कराये जानें हेतु प्रतिसंदत्त कर दूंगा।

दिनांकः

स्थान: